तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री रामावतार बनाम ग्राम पंचायत लाखना जरिये सचिव व अन्य अपील जीसीएमएस नं. 2025 / 1488	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रार्थी की अपील संख्या 2024 / 671 उनवान रामावतार बनाम ग्राम पंचायत लाखना व अन्य दिनांक 07.05.2025 को वकील अपीलांट के उपस्थित नही होने पर अदम हाजरी अदम पेरवी में खारीज की गई है जिससे प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण नही हुआ है ऐसी स्थिति में प्रकरण गुणावगुण पर निस्तारण के तथ्य को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। हस्तगत पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफिता मूल अपील रहे। आदेश सुनाया गया। (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	